

सम्पादकीय.....

सवाल हमारे संविधान की अहमियत का...?

विश्व के सभी प्रजातंत्री या लोकतंत्री देश हमारे देश के संविधान की न सिर्फ तारीफ करते हैं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों ने तो उसकी नकल भी की है, किंतु आज जब हमारे संविधान को लागू हुए करीब पचहत्तर वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इस पर अनेक सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल और कोई नहीं बल्कि उसी दल के नेता उठा रहे हैं, जिन्होंने आजादी के बाद से अब तक सर्वाधिक समय स्तरों पर रहते अब तक इस संविधान पर एक सो अधिक तीर चलाकर इसे 'शरौद्या' पर पड़े रखने को भजबूद किया है, अपनी मानमर्जी से संविधान को तोड़ने-मरोड़ने वाला दल आज सत्तारुद्ध दल पर संविधान के विपरीत काम करने के आरोप लगा रहा है, आज के मुख्य प्रतिपक्षी दल के बे नेता जिनका जन्म इस संविधान के लागू होने के बाद हुआ और जिन्होंने स्वयं संविधान में भीन-मैख निकाल रहे हैं। वैसे यह भी एक कटु स्वरूप है कि अब तक हर दल ने हमारे संविधान को धार्मिक ग्रंथ रामायण, श्रीमद्भगवत् गीता, कुरान और गुरुग्रंथ साहब की तरह लाल कपड़े में लपेट कर रखा और इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ इसे हाथों में लेकर राशन तक ही सीमित रखा, इसका सही अर्थों में अनुसरण करने का किसी भी सत्ताधारी दल ने प्रयास नहीं किया, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने बड़ी आशा व उम्मीदों के साथ इसकी रचना की थी, किंतु सिर्फ पचहत्तर साल की अवधि में ही हमारे संविधान की अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है और उसे देश का मार्गदर्शक नहीं मानकर एक धर्मग्रंथ की मानिंद इसका उपयोग किया जा रहा है। हमारे इसी संविधान का अगले साल हीरक जयाति वर्ष है, इस वर्ष को जोर-शोर से मानने की तैयारी भी की जा रही है, सत्ता और विषय को दोनों ही इस दिशा में तैयार कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में संविधान की हीरक जयंती मानने के सही पार वे हैं, जिन्होंने इसकी कायदे से इज्जत कर इसे ईमानदारी से लागू करने और इस पर अपने आपको समर्पित करने का प्रयास किया हो, लेकिन अब तो हमारे इस संविधान को भी 'राजनीतिक नारा' बनाने का प्रयास जा रहा है? व्या संशोधन की 'शरौद्या' पर पड़े इस संविधान की गति भी द्वारा लेकर आज पूरे विश्व के देश भारत का भजाक उड़ा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान को भारत के सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दलों ने 'सत्ता-सुरक्षा-हित्यार' बना रखा है। अब यह आरोप कहा तक सही है, यह तो भारत के आत्मचिन्तन के बाद ही पता लगा, किंतु यदि इसमें तानिक भी सच्चाई है तो हमारे लिए 'शरौद्या' है, क्योंकि संविधान को हमने हमेशा सत्ता का मार्गदर्शक सिद्धांत माना है और वही भी मंत्र रहा है। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि भीमौद्या हालातों में हमारे संविधान पर समय व परिस्थिति के अनुसार सही समीक्षा होना चाहिए और विश्व के अलोचक देशों को मुंह तोड़ जावाब दिया जाना चाहिए तथा अब इन्हीं देशों से ही सही हमारे संविधान को पूरी निषा-ईमानदारी और सच्चाई के साथ लाना किया जाना चाहिए और यह अपेक्षा मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते उनसे ही की जा सकती है?

● किसने क्या कहा



कांग्रेस को इस बार 50 और तृणमूल को 15 सीटें भी नहीं मिलेंगी
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

उद्घव ठाकरे में अब वीर सावरकर का नाम लेने की हिम्मत नहीं

अमित शाह
गृहमंत्री



पशु जीवन के साथ भी हो गरिमापूर्ण व्यवहार

डॉ. सत्यवान सोरभ
दंड सहित में संशोधन करके, जानवरों को अनावश्यक दर्द वा दर्द के दोनों और जानवरों को मारने वा गंभीर रुप से दुर्बल हाथ करने के लिए सजा बढ़ा दी गई। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को मुंह तोड़ जावाब दिया जाना चाहिए तथा अब इन्हीं देशों से ही सही हमारे संविधान को पूरी निषा-ईमानदारी और सच्चाई के साथ लाना किया जाना चाहिए और यह अपेक्षा मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए अपराध के मामले में जुराना

जो दस स्पष्ट से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास स्पष्ट तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई है, ताकि उसे आगे की पीढ़ी से राहत देने की चाही वाली चाही हो। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता को होने पर उसे मार दालने की चर्चा वालों को भी नहीं होनी चाहिए। अब यह अपराध के तीन साल के भीतर यह दर्द से दूर होने के लिए सजा बढ़ा दी गई ह

एक झलक

महुआडांड़ बाजार क्षेत्र में प्याऊ का उद्घाटन

महुआडांड़/लातेहार : महुआडांड़ बाजार में स्थानीय बीज विक्रेता एवं किसानों की उपस्थिति में प्रबंध गर्मी के देखते हुए निर्मित प्लॉट साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक प्याऊ का उद्घाटन किया गया।

